

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 137/2026 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

कालुराम पुत्र श्योपतराम जाति नाई निवासी खोडा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

-वादी

बनाम

1. श्योपतराम पुत्र भुराराम जाति नाई निवासी खोडा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. विजय पुत्र श्योपतराम जाति नाई निवासी खोडा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
3. सिलोचना पुत्री श्योपतराम जाति नाई निवासी खोडा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
4. गायत्री पुत्री श्योपतराम जाति नाई निवासी खोडा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार(राजस्व)रावतसर जिला हनुमानगढ़।

-प्रतिवादीगण

उपस्थित:- श्री विनोदकुमार स्वामी वकील-वादी

श्री विनोदकुमार राहड़ वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 4

राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 5

निर्णय दिनांक- 30.3.2026

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष उपरोक्त अभिभाषकगण व राजपेरोकार की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि चक 1 सीएलडी के खाता संख्या 107/86 के पत्थर नम्बर 12/64(61) किला नम्बर 15/1, 16/2, 25, पत्थर नम्बर 32/8(60) किला नम्बर 10, 11/2, 12, 19, 20/1, 21/2 इस प्रकार कुल 1.5550 हैक्टेयर अनकमाण्ड व चक 2 सी.एल.डी. के खाता संख्या 53/48 के पत्थर नम्बर 13/57(5) किला नम्बर 1/2, 2 ता 9, 10/2, पत्थर नम्बर 33/1(6) किला नम्बर 1/1, 10, 11/2, इस प्रकार कुल 3.0610 हैक्टेयर कमाण्ड व चक 4 के.डी.डी. के खाता संख्या 65/60 के पत्थर नम्बर 73/43(35) किला नम्बर 5, पत्थर नम्बर 73/50(31) किला नम्बर 18/1, 23/1, पत्थर नम्बर 73/51(36) किला नम्बर 1 ता 4, 5/1 इस प्रकार कुल 1.8090 हैक्टेयर कमाण्ड कृषि भूमि के वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को ब हिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेंगे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 30.3.2026
.....को जारी की गई।

(संजय कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
सहउपखण्ड अधिकारी
सपखण्डाधिकारी
रावतसर

